न्यायालय सहायक कलक्टर (शहर) ,बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु खत्री आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः–29/2017
आर.सी.एम.एस. नं.:–2017/00049

1. मंगलचंद पुत्र बदनाराम माली
2. नन्दलाल पुत्र बदनाराम माली
3. धनराज पुत्र तुलछाराम माली
4. मनका देवी पुत्री तुलछाराम माली
5. भंवरी देवी पुत्री तुलछाराम माली
6. पांचीदेवी पुत्री तुलछाराम माली
7. रामादेवी बेवा तुलछाराम माली समस्त निवासीगण धावडियान पुरानी गिन्नाणी बीकानेर
8. राजा ऋत्विक रीयल्टी प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर जरिये डाइरेक्टर ऋत्विक सेठिया पुत्र श्री चेतन प्रकाश सेठिया बीकानेर हाउस रानी बाजार बीकानेर

--वादीगण--

–बनाम–

1. राज. राज्यजरिए तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर।

--प्रतिवादी--

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी एक्ट 1955

अभिभाषक उपस्थितिः–

1. **श्री सतपालसिह अभिभाषक वादीगण की और से।**
2. **श्री सत्यनारायण तिवाडी वादी 8 की और से।**
3. **श्री राजपेरोकार**

दिनांकः– 19/4/21

–:निर्णयः–

विचाराधीन वाद 19.09.1998 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर में प्रस्तुत हुआ। बाद स्थानान्तरण न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण में सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी का खेत ग्राम चकगर्बी रोही स्थित खेत ख.न. पुराना 941/159, 911/159, 1030/365, 1179/365, 1318/159, तादादी 12.01, 17, 12.10, 21.15, 20 बीघा जिसके वर्तमान नम्बर चक 7 बी.के.एम. के मु0न0 77/57 के किला नम्बर 1 ता 17 = 17 किला, मु0न0 77/49 के किला नम्बर 6, 7, 12 ता 19, 22 ता 25 = 14 किला, मु0न0 77/50 के किला नम्बर 4 ता 6 = 3 किला व ख0न0 320 तादादी 17 बीघा बारानी कृषि भूमि वादीगण के पिता, दादा, श्वसुर स्व. श्री बदनाराम जी के सम्वत 2012 से पूर्व से काश्तकारी में रही है, जिसका समय समय पर लगान भी अदा किया जा रहा है। जिसके बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार हो चुके थे। स्व. बदनाराम जी के जीवनकाल में उनके साथ व उनकी मृत्युपरान्त वादीगण उक्त पैतृक कृषि भूमि के निरन्तर शांतिपूर्वक काबिज काश्तकार चले आ रहे है। मौक पर वादीगण की ढाणी बनी हुई है एवं बाजरी मोठ की फसल व तरकारी काश्त की हुई है। पैरा संख्या 1 में वर्णित पैतृक कृषि भूमि वादी संख्या 1 ता 7 के 1/3 बाहमी हिस्से में रही है। बाहमी हिस्से की भूमि व सुधार कार्य करवाने के लिए प्रत्येक काश्तकार को आवश्यक था कि वे कानून हिस्सा पांती करवाये। इस हेतु जब वादीगण दिनांक 20.7.98 को तहसील कार्यालय में गये तो उन्हे बताया गया कि तुम्हारे उक्त पैतृक कृषि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है, तुम्हे किसी भी प्रकार से हिस्सा पांती करवाने के अधिकार नही है। अतः उक्त कृषि भूमि को तुम लोग खाली कर दो यही तारीख बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत है। पैरा संख्या 1 में वर्णित पैतृक कृषि भूमि वादीगण के पिता, दादा, श्वसुर बाई ऑपरेशन ऑफ ला खातेदार होने से तथा तदनुरूप वादीगण उनके जायज वारिसान होने से खातेदार हुये। पैरा संख्या 1 में वर्णित वादगत भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन आराजी राज के रूप में करने से पूर्व बिना रिकार्डेड टिनेन्ट को सुनवाई का अवसर दिये पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ होने से शुरू से ही प्रभाव शुन्य है। वादीगण का जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन उक्त कृषि भूमि ही है उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल किया गया अथवा [illegible] की कार्यवाही की गई तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। वादीगण को पैरा संख्या 1 में व[illegible] कृषि [illegible] के बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार होना घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन [illegible]। [illegible]धाज्ञा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी इस अमर की जारी की जावे की पैरा संख्या [illegible] वर्णित कृषि भूमि के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी नही करे तथा ना ही उन्हे बेदखल करने की कार्यवाही करें।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को ज[illegible] समन से तलब किया गया प्रतिवादी स्टेट की और से अभिभाषक श्री राजपेराकार ने जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा केवल सम्वत 2012 से 24 तक की गिरदावरी पेश की गई है जो रिकार्ड आफ राईटस की परिभाषा में नही आती है, वादीगण द्वारा 2025 से आज तक कब्जा बाबत कोई सबूत पेश नही किया गया जिससे कब्जा साबित होता हो, टिनेन्ट बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है। तथा वादीगण द्वारा मिलान क्षेत्रफल भी पेश नही किया गया है। जिसके अभाव में वास्तविक स्थिति ज्ञात नही हो सकती ना ही कोई लगान भरा है।वादगत भूमि वर्तमान में आराजीराज है, इसलिए वाद स्वीकृत योग्य नही है। पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी का वाद खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2022.03.22 12:08:30 IST
Reason: SelfAttested

दावा व जबाबदावा के आधार पर तनकियात निम्नानुसार कायम की गई –

1. **आया वादीगण ग्रम चकगर्बी के खेत ख0न0 941/159, 911/159, 1030/365, 1179/365, 1318/159, तादादी 12.01, 17, 12.10, 21.15, 20 बीघा जिसके वर्तमान नम्बर चक 7 बी.के.एम. के मु0न0 77/57 के किला नम्बर 1 ता 17 = 17 किला, मु0न0 77/49 के किला नम्बर 6, 7, 12 ता 19, 22 ता 25 = 14 किला, मु0न0 77/50 के किला नम्बर 4 ता 6 = 3 किला व ख0न0 320 तादादी 17 बीघा की बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा के मुस्तहक है।**

जिम्मेवादी

2. **आया वादीगण प्रतिवादी के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।**

जिम्मे वादी

3. **आया वादी का वादगत भूमि पर सम्वत 2012 से कब्जा काश्त होना स्वीकार नही है।**

जिम्मे प्रतिवादी

4. **आया वादगत भूमि वादीगण की पैतृक होना स्वीकार नही है।**

जिम्मे प्रतिवादी

5. **दादरसी**

बहस उभय पक्ष सुनी जाकर । तनकी की विवेचना निम्नानुसार की गई :–

1. **तनकी संख्या 1 :–** इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। वकिल वादीगण का कथन है कि विवादीत आराजीराज वादीगण के पिता, दादा, श्वसुर स्व. बदनाराम के सम्वत 2012 से काश्तकारी में रही है। वादीगण स्व. बदनाराम के वारिस होने के नाते वादगत भूमि पर काबिज काश्तकार है। बाई आपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकारों की घोषणा के मुश्तहक है। वकिल वादीगण ने आर.आर.सी 1999 पेज संख्या 331 पेश कर कथन किया की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के दौरान जो व्यक्ति जिस भूमि पर कातकार/कब्जेदार थे। वह धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण संवत 2012 से विवादीत भूमि पर काबिज है। इसलिए वादीगण बाई आपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकारों की घोषणा के मुश्तहक है। अतः तनकी संख्या 1 बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।
2. **तनकी संख्या 2:–** चुंकि तनकी संख्या 1 बहक वादी निर्णित की गई है अतः इस तनकी पर व्याख्या अपेक्षित ना मानते हुए तनकी संख्या 2 भी बहक वादी निर्णित की जाती है।
3. **तनकी संख्या 3 व 4 :–** इन दोनों तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर था। स्टेट की और से पैरोकार राज ने कथन किया की वादगत भूमि वादीगण ने पिता–दादा, श्वसुर स्व. बदनाराम के संवत 2012 से पूर्व काश्तकारी में रहना बताई है जो गल्त है यदि उपरोक्त भूमि संवत 2012 से कब्जा काश्त में होती तो रेकार्ड में उनका नाम अवश्य आता इसके अतिरिक्त संवत 2025 से कोई सबूत पेश नही हुआ है तथा स्टेट के विरूद्व वाद लाने से पूर्व 80 सीपीसी का नोटिस नही दिया गया है इसलिए दावा खारिज योग्य है। इसके विपरीत वकिल वादीगण ने कथन किया की जंहा तक विवादीत भूमि का पैतृक नही होने का सवाल है। प्रतिवादी ने स्वयं अपने जबाबदावा में बदना वल्द हीरा का रेकार्ड में नाम होना स्वीकार किया है उन्ही के वादीगण जायज वारिसान है। संवत 2025 में वादीगण को सुनवाई का अवसर नही दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत हैं। जबकि आज भी वादगत भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है मौके पर ढाणी बनी हुई है। वादीगण संवत 2012 से पूर्व के काश्तकार होने के कारण वादगत भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हकदार है।

हमने उभय पक्ष को सुना। उक्त दोनों तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर था। किन्तु उनकी और से कोई ऐसा साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह साबित होता हो कि वादगत भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त ना हो तथा भूमि पैतृक नही हो। प्रतिवादी के द्वारा संवत 2025 में बिना सुनवाई के वादगत भूमि को आराजीराज दर्ज करने को कोई ठोस आधार नही बताया गया जिसके आधार पर पैरोकार राज की दलील स्वीकार की जा सके। वादीगण के द्वारा धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत कर 80 सीपीसी के नोटिस की छुट चाही गई थी। जिसके आधार पर वाद दायर हुआ। अतः तनकी संख्या 3 व 4 बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री सादिर की जाती है कि वादगत भूमि वाके ग्रम चकगर्बी के खते खसरा नम्बर 941/159, 911/159, 1030/365, 1179/365, 1318/159, तादादी 12.01, 17, 12.10, 21.15, 20 बीघा जिसके वर्तमान नम्बर चक 7 बी.के.एम. के मु0न0 77/57 के किला नम्बर 1 ता 17 = 17 किला, मु0न0 77/49 के किला नम्बर 6, 7, 12 ता 19, 22 ता 25 = 14 किला, मु0न0 77/50 के किला नम्बर 4 ता 6 = 3 किला व ख0न0 320 तादादी 17 बीघा का [illegible] है। प्रतिवादी के विरुद्व चिरस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है [illegible] के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो। [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2022.03.22 12:08:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 19/4/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दु खत्री)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
(शहर), बीकानेर

सहायक कलक्टर, बीकानेर